संख्या- 160 /78-1-2018-123आई0टी0/2016

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.4 (पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन) के अन्तर्गत इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- 1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन" उद्‌घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्‌घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।

3- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रू 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.4 में पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गई हैः-

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

- शोधएवंविकासकोबढ़ावादेनेकेलिए,घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

5 उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

1 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन की अवधि

यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

2 आच्छादन

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत उद्‌घोषित "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन"

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

3 परिभाषायें

एतद्द्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन का विवरण

4.1 यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

4.2 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय कार्यदायी संस्था होगी।

4.3 इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत पात्र इकाईयों घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रू 10,00,000 की सीमा तक वास्तविक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिये अनुमन्य होगी।

4.4 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

5 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

5.1 पात्र इकाई द्वारा पेटेन्ट्स हेतु सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने और उसके लिए पेटेन्ट् फाइलिंग शुल्क जमा कर दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय को सूचित किया जायेगा।

5.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग/प्रासीक्यूशन आफ पेटेन्ट एप्लीकेशन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा **अनुलग्नक-अ** पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-ब)** पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-

5.2.1 पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
5.2.2 स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियों (specifications)/ विन्यास (drawings)/चित्र (designs)
5.2.3 ISO/ISI प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो तो)
5.2.4 पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इन्वायस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित)
5.2.5 संयंत्र/उपकरणों/साफ्टवेयर/अन्य उपयुक्त निवेश के प्रमाण-स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र
5.2.6 आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र
5.2.7 आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का अद्यतन विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित

6 प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया

6.1 मिशन निदेशालय द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

6.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में मिशन निदेशालय द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। मिशन निदेशालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

6.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में मिशन निदेशालय की संस्तुति अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

6.4 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मिशन निदेशालय से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

7 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

8 <u>इकाई को दी गई पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त किया गया है तो वितरित प्रोत्साहन की धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि भुगतान न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्नकः यथाउपरोक्त</u>

भवदीय,
(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

<u>सँख्या -160 (1)/78-1-2018/तद्दिनांक</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तरप्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 कार्यकारी निदेशक, उद्योगबन्धु, लखनऊ।
7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
10 गार्डफाइल।

आज्ञासे,
(राज बहादुर)
उप सचिव

02-02-18
02/02/18

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।